

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-98/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
27.09.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, आनन्दपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 30.10.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 30.10.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> 27.9.18</p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
30.10.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, आनन्दपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.11.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.11.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> 30.10.18</p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
20.11.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर के पत्रांक-510, दिनांक-26.10.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.10.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका श्री गुरुवा सुरीन, पिता/पति- नोमा सुरीन, जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), ग्राम- आनन्दपुर, थाना- आनन्दपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- आनन्दपुर, थाना- आनन्दपुर, थाना नं०- 162, खाता नं०- 448, प्लॉट नं०- 2089, रकवा- 0.20 ए०, क्रेता श्री आशीष दीपक तोपनो, पिता/पति- श्री मिखाएल तोपनो, जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), ग्राम- डुमिरता, थाना- आनन्दपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका श्री गुरुवा सुरीन, पिता/पति- नोमा सुरीन, जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), ग्राम- आनन्दपुर, थाना- आनन्दपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- आनन्दपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को आनन्दपुर अंचल अंतर्गत रकवा- 3.00 ए०, अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता श्री गुरुवा सुरीन, पिता/पति- नोमा सुरीन, जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), ग्राम- आनन्दपुर, थाना- आनन्दपुर, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि 75,000 (पचहत्तर हजार) रुपये में बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p>लेखापित</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> 20.11.18</p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	<p style="text-align: right;"><i>Devi</i> 20.11.18</p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>